

प्रेषक:

दमकल केन्द्र अधिकारी,
सिरसा।

सेवा में

जिलाधीश, सिरसा

क्रमांक FS/16/19

दिनांक 17-8-2019

विषय:-

Request to issue No Objection Certificate for setting up of a new Retail Outlet at Khasra No. 28//2, Khatoni No. 272, Khewat No. 225//209, Village Rangri Khera, On Sirsa-Jamal Road, Tehsil & District Sirsa, Haryana.

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 4184-92/पी0एल0ए0 दिनांक 06/08/2019 के संदर्भ में

विषयांकित मामले में आपके आदेशानुसार प्रस्तावित Bharat Petroleum Corporation Ltd. A Govt. of India Enterprise Hissar Territory, Near Railway Station, Hissar-125001 (Haryana) Ph. 01662-239024 Registered Office, Bharat Bhawan, 4&6 Curimbhoy Road, Bailard Estate, Mumbai-400001 के लिए प्रस्तावित स्थल का अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से आज दिनांक 17/08/2019 को मौका देख लिया गया है। यह वाक्या गांव रंगड़ी खेड़ा सिरसा-जमाल रोड तहसील व जिला सिरसा में स्थित है। इस समय मौके पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र व किसी भी प्रकार की इण्डस्ट्री नहीं है, तथा जमीन के उपर से कोई बिजली की तार नहीं गुजर रही है। इस रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना करने से पूर्व पेट्रोल पम्प के मालिक को निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा प्रबंध करने होंगे।

1. अग्निशमन यंत्र एबीसी 10 कि०ग्रा० की क्षमता ISI मार्क प्रति मशीन 2 नग।
2. अग्निशमन यंत्र AFFF 50 लीटर ड्राली पाईप क्षमता ISI मार्क प्रति मशीन 2 नग।
3. अग्निशमन यंत्र CO2 की क्षमता 4.5 कि०ग्रा० ISI मार्क जरनेटर के पास लगाना होगा।
4. रेत की बाल्टियां स्टैंड सहित 8 नग।
5. तेल के टैंकर से जरनेटर व इलैक्ट्रिक पैनल को लगभग 50 फुट की दूरी पर रखना होगा।
6. पेट्रोल पम्प पर 200 लीटर फोम कम्पाउंड AFFF रखनी होगी।
7. महत्वपूर्ण टेलीफोन नं० को बोर्ड पर लाल रंग व बड़े अक्षरों में लिखवाकर ऐसे स्थान पर लगाना होगा जो सभी को नजर आयें।
8. पेट्रोल पम्प पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना होगा।
यदि मालिक द्वारा उक्त सुझाये गये अग्नि सुरक्षा प्रबंध करके विस्फोटक पदार्थ के भण्डारन के नियमानुसार कार्य करता है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति ना है।
9. बिजली की लाईन जो H.T. है, उसकी तारों की ऊंचाई पेट्रोलियम के नियमों अनुसार होनी चाहिए।

Dalvir S 17/8/19
दमकल केन्द्र अधिकारी,
सिरसा 17-8-19

प्रेषक

जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले नियन्त्रक,
सिरसा ।

सेवा में

जिलाधीश महोदय,
सिरसा ।

विषय:-

यादि क्रमांक नि0पू0-2019/ 8232 दिनांक 03-09-2019
Request to issue No Objection Certificate for setting up of a new
Retail Outlet at Khasra no. 28//2, Khatoni No. 272, Khewat No.
225//209, Village Rangari Khera, On Sirsa-Jamal Road, Tehsil
Sirsa Distt. Sirsa Haryana.

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 4184-92/पी0एल0ए0 दिनांक
06.08.19 के संदर्भ में ।

विषयधीन जगह का निरीक्षण सहायक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता
मामले अधिकारी, परिमण्डल कार्यालय, सिरसा द्वारा करवाया गया । जांच अधिकारी ने अपनी
रिपोर्ट पत्र क्रमांक ए0एफ0एस0ओ0-19/एस0पी0एल0-1 दिनांक 27.08.19 में दर्शाया है कि
प्रस्तावित स्थल Khasra no. 28//2, Khatoni No. 272, Khewat No. 225//209, Village
Rangari Khera, On Sirsa-Jamal Road, Tehsil Sirsa Distt. Sirsa Haryana की 300
मीटर की दूरी पर कोई भी पम्प, सार्वजनिक संस्थान नहीं है व न ही स्थल के उपर से कोई
बिजली की हाईवोल्टेज की तार नहीं गुजरती है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पार्टी को भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन
लिमिटेड का पेट्रोल पम्प लगाने बारे इस विभाग को आपत्ति नहीं है ।

जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले नियन्त्रक,
सिरसा ।

23/9/19

प्रेषक

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
सिरसा।

सेवा में

जिलाधीश महोदय,
सिरसा।

क्रमांक 4026

दिनांक 28/8/2019

विषय :-

Request to issue No Objection Certificate for setting up of a new Retail Outlet at Khasra No. 28//2, Khatoni No. 272, Khewat No. 225//209, Village Rangri Khera, On Sirsa-Jamal Road, Tehsil & Distt. Sirsa. Haryana.

सन्दर्भ :-

पत्र क्रमांक 4184-92/पी.एल.ए. दिनांक 06-08-19

उपरोक्त विषयाधीन पेट्रोल पम्प मामले में जगह का खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सिरसा द्वारा दिनांक 28.08.2019 को मौका मुआयना किया गया। मौके पर पाया गया है कि प्रस्तावित स्थल Khasra No. 28//2, Khatoni No. 272, Khewat No. 225//209, Village Rangri Khera, On Sirsa-Jamal Road, Tehsil & Distt. Sirsa. Haryana. पर ग्राम पंचायत का कोई कब्जा ना है तथा कोई बिजली की तारें इसके ऊपर से नहीं गुजर रही है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पार्टी को भारत पेट्रोलियम कोरपोरेशन, लिमिटेड का पेट्रोल पम्प लगाने बारे विभाग को आपति नहीं है।

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
सिरसा।

OFFICE OF SENIOR TOWN PLANNER, HISAR

Department of Town & Country Planning Haryana
Phone: 01662-231106, Email: stp1.hisar.tcp@gmail.com

To

District Magistrate,
Sirsa.

Memo No.

Dated

Sub:-

Request to issue No Objection Certificate for setting up New Retail Outlet of Bharat Petroleum Corporation Ltd. at Khesra no. 28/2, Khatoni no. 1272, Khewat no. 225/209, village Rangri Khera on Sirsa-Jamal Road, Tehsil & Distt. Sirsa.

Ref:-

District Town Planner, Sirsa Memo no. 1974 dated 20.08.2019.

With reference to subject cited matter, the report of District Town Planner, Sirsa has been examined and found that Sh. Sanjeev Kumar S/o Sh. Inder Parkash is the owner of khasra no. 28/2, total area 1225 sqm. abuts with 18.44 mts. wide Sirsa to Jamal Road in the revenue estate of village Rangri Khera, Distt. Sirsa which does not fall in controlled area declared by this department, but covered under Urban Area Sirsa, as per Haryana Development & Regulation of Urban Area, Act. 1975. This NOC is being issued with the following terms & conditions:-

- 1- That as and when the aforesaid land will become the part of controlled area in future then, you shall have to obtain permission from Director, Town & Country Planning, Haryana for any addition/ alteration/ re-construction as required under Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restrictions of Unregulated Development Act, 1963.
- 2- That this information does not provide any immunity to any Act, Rules & Regulations of State Govt./Govt. of India applicable to the land in question.
- 3- That the land owner will adhere the norms and provisions prescribed in the Haryana Building Code-2017/ NBC as IS codes to ensure structural stability of the building being constructed from all loads/impacts, including seismic loads/wind loads etc.
- 4- That the land owner shall adhere to rules/ regulations of all concerned authorities under prevailing Act/rule applicable to aforesaid land.
- 5- That if you change the name, nature and use of Petrol Pump then you require prior approval of the competent authority.
- 6- That you shall obtain NOC regarding FIRE Safety from Competent Authority.
- 7- This NOC will be void abinitio, if any of the condition mentioned above are not complied with.

Senior Town Planner
Hisar Circle Hisar.

Encl. No. 17114

Dated 29/08/2019

A copy of the above is forwarded to District Town Planner, Sirsa for information and taking necessary action.

Senior Town Planner
Hisar Circle Hisar